पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड़ लि0

(उत्तराखण्ड़ सरकार का उपक्रम) कारपोरेट आई0डी0 नं0: U40101UR2004GOI028675

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड माजरा, देहरादून–240002

दूरभाष नं0 0135–2642006 फैक्स नं0 0135–2643460

सार्वजनिक सूचना

वित्तीय वर्ष 2018–19 का वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2021–22 तक के लिए प्रस्तावित बहु–वर्षीय टैरिफ (MYT) की स्वीकृति हेतु एस0एल0डी0सी0 की याचिका पर विचार आमंत्रित किये जाते है

बहु–वर्षीय टैरिफ याचिका के मुख्य बिन्दु:–

प्रान्तीय भार निस्तारण केन्द्र (एस0एल0डी0सी0) देहरादून जिसे उत्तराखण्ड राज्य में 27 नवम्बर, 2012 से ग्रिड नियंत्रण, विद्युत निस्तारण एवं अन्य सम्बन्धित कार्यो का संचालन कर रही है, ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा एवं वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2021–22 तक के लिये बहु–वर्षीय टैरिफ (MYT) के अनुमोदन हेतु माननीय उत्तराखण्ड़ विद्युत नियामक आयोग के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की है। उपरोक्त वित्तीय वर्षो हेतु एस0एल0डी0सी0 द्वारा प्रस्तावित मागों का सारांश निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:–

(रू0 करोड में)

क्र0 स0	मद	वित्तीय वर्ष 2018–19		वित्तीय वर्ष 2019–20	वित्तीय वर्ष 2020–21	वित्तीय वर्ष 2021–22
		टैरिफ आदेश की स्वीकृति	पुनरीक्षित आंकलन	प्रस्तावित	प्रस्तावित	प्रस्तावित
1	संचालन एवं अनुरक्षण व्यय	7.86	8.58	15.91	16.72	17.28
2	ऋण पर ब्याज	2.84	2.27	3.23	2.83	4.39
3	इक्विटी पर प्रत्यागम	2.07	1.36	2.10	2.11	2.68
4	अवक्षयण	3.43	2.43	3.48	3.49	5.92
5	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	0.64	0.62	1.10	1.13	1.27
6	**कुल वार्षिक राजस्व आवश्यकता**	**16.84**	**15.28**	**25.83**	**26.28**	**31.53**
7	**घटाया: नॉन टैरिफ आय**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	**शुद्व वार्षिक राजस्व आवश्यकता**	**16.84**	**15.28**	**25.83**	**26.28**	**31.53**

1. प्रान्तीय भार निस्तारण केन्द्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु स्वीकृत व्यय के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल प्रस्तावित वृद्धि 53.38 % की गयी है। यदि एस0एल0डी0सी का सम्पूर्ण दावा आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो उपभोक्ता टैरिफ में उपाकालि द्वारा प्रस्तावित वृद्धि से ऊपर 0.13 % की अतिरिक्त वृद्धि करने की आवश्यकता पडेगी।
2. विस्तृत याचिका किसी भी कार्य दिवस में आयोग के कार्यालय अथवा प्रबन्ध निदेशक, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड, विद्युत भवन, देहरादून के कार्यालय पर नि:शुल्क देखी जा सकती है। याचिका से सम्बन्धित प्रपत्र याचिकाकर्ता के उपर्युक्त वर्णित कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है।
3. उक्त याचिका के समस्त प्रस्ताव आयोग की वेबसाईट (www.uerc.gov.in) एवं याचिकाकर्ता की वेबसाईट (www.uksldc.in) पर भी उपलब्ध है।
4. उक्त प्रस्तावों पर उपभोक्ताओं एवं अन्य हित धारकों की आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाते है। इन प्रतिक्रियाओं/सुझावों को व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा सचिव उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन आई0एस0बी0टी0 के पास पो0ओ0–माजरा देहरादून–248171 में अथवा ई–मेल द्वारा secy.uerc@gov.in प्रतिक्रियाओं/टिप्पणीयों का विवरण सम्बन्धित दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र सहित दिंनाक 31.01.2019 तक भेजे जा सकते है।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 201/प्रा0भा0नि0के0/ **दिनांक 18.12.2018**

"राष्ट्रहित मे बिजली बचाये"